न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
50/2022	23.08.2022	15.11.2022

//उनवान//

1 दलीपसिंह पुत्र सुखीराम
2 महेन्द्रकुमार पुत्र सुखीराम
3 राजेन्द्रसिंह पुत्र सुखीराम
4 रामकुमार पुत्र सुखीराम
5 रोशनलाल पुत्र सुखीराम जातियान जाट निवासियान रणसीमाजरी, तह0 बावल जिला रेवाड़ी हरि0।
6 वीरमति
7 धर्मा पुत्रीयान सुखीराम
8 भुतेरी पत्नि सुखीराम जातियान जाट निवासीयान रणसीमाजरी तह0 बावल जिला रेवाड़ी हरि0

:– प्रार्थीगण

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– अप्रार्थी

प्रा0 पत्र– अन्तर्गत धारा 136
एल. आर. एक्ट 1956

उपस्थितिः– पृथ्वीसिंह यादव – वकील प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 15.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल आ0ख0नं0 2411, 2383, 2398, 2399, 2400 वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी होकर दौराने सैटलमेंट हाल ख0नं0 2411 [illegible] नाम संभाग में रिकॉर्ड बनाते समय प्रार्थीगण का हिस्सा तो सही दर्ज [illegible] पिता के नाम में सुखीराम के स्थान पर खुशीराम दर्ज [illegible] वादीगण/प्रार्थीगण के हकहकूकों के खिलाफ वाकि[illegible] का अंकन करते हुये हाल ख0नं0 2411 के राजस्व [illegible] महेन्द्र कुमार, राजेन्द्रसिंह, रामकुमार, रोशनलाल पुत्रान खुशीराम के स्थान प[illegible]ता का नाम सुखीराम एवं हाल ख0 नम्बरान 2383, 2398, 2399, 2400 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण 01 ल0 08 के पिता/पति सुखाराम के स्थान पर पिता का नाम सुखीराम दर्ज कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की वाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पैरोकार सरकार पेश हुआ। मुताबिक जवाब पैरोकार पैरा सं0 01 ल0 05 स्वीकार है का अंकन करते हुये पैरा सं0 06, 07, 08 वादी स्वयं सिद्ध करें अंकित करते हुये पैरा सं0 09 व 10 न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होकर कोर्ट फीस संबंधित होकर

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन है अंकित करते हुये वाद स्वीकार योग्य है के बाबत का पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल हाल जमाबंदी व नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के साथ–साथ प्रार्थीगण के पिता सुखीराम पुत्र दाताराम के पहचान के दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, सरपंच/पंचों का पहचान पत्र जिला रेवाड़ी(हरियाणा), वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणापत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रतियां एवं प्रार्थीगण सं0 01 ल0 05 एवं प्रार्थिया सं0 08 के आधार कार्ड की छाया प्रतियां व प्रार्थी सं0 02 महेन्द्र कुमार पुत्र सुखीराम की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र व नम्बरदार ग्राम रणसीमाजरी तह0 बावल (हरियाणा) की ओर से प्रार्थीगण के पिता के सुखीराम नाम के बाबत का प्रमाणा पत्र प्रस्तुत किये गये है जो शामिल पत्रावली है व उक्त समस्त दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता/पति के बाबत सुखीराम नाम का अंकन है।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस दरख्वास्त सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि ख0नं0 2411का दौराने सैंटलमेंट अंकन करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम सुखीराम के स्थान पर गलत नाम खुशीराम का अंकन कर दिया एवं इसी प्रकार ख0 नम्बरान 2383, 2398, 2399, 2400 का हाल रिकॉर्ड बनाते समय प्रार्थीगण 01 ल0 08 की वल्दियत अर्थात् पिता/पति का नाम सुखीराम के स्थान पर गलत नाम सुखाराम का अंकन कर दिया जो हाल तक चला आ रहा है का अभिकथन करते हुये प्रार्थनापत्र की ताईद में नकल हाल जमाबंदी व नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के साथ–साथ प्रार्थीगण के पिता सुखीराम पुत्र दाताराम के पहचान के दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, सरपंच/पंचों का पहचान पत्र जिला रेवाड़ी(हरियाणा), वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणापत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रतियां एवं प्रार्थीगण सं0 01 ल0 05 एवं प्रार्थिया सं0 08 के आधार कार्ड की छाया प्रतियां व प्रार्थी सं0 02 महेन्द्र कुमार पुत्र सुखीराम की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र व नम्बरदार ग्राम रणसीमाजरी तह0 बावल (हरियाणा) की ओर से प्रार्थीगण के पिता के सुखीराम नाम के बाबत का प्रमाणा पत्र प्रस्तुत किये गये है जो शामिल पत्रावली है व उक्त समस्त दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता/पति के बाबत सुखीराम नाम का अंकन है का निवेदन करते हुये प्रार्थीगण के प्राथनापत्र को स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक प्रार्थनापत्र के बाबत बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं हाल ख0 नं0 2411 वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण दलीपसिंह, महेन्द्रकुमार, राजेन्द्रसिंह, रामकंवार, रोशनलाल पुत्रान खुशीराम के अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं एवं इनके स्थान पर दलीपसिंह, महेन्द्रकुमार, राजेन्द्रसिंह, रामकुमार, रोशनलाल एवं पिता का नाम सुखीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा आ0ख0नं0 **2383, 2398, 2399, 2400** वाके ग्राम मानका तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण 01 ल0 08 के पिता/पति के दर्ज नाम सुखाराम को

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं एवं पिता/पति का सही नाम सुखीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय प्रति के साथ अकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **15.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

15-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज०

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested